संख्या– / II–2018–04(05)/2017

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 17 मई, 2018

विषयः वित्तीय वर्ष 2018–19 में नाबार्ड वित्त पोषित निर्माणाधीन नलकूप, निर्माण, नहर निर्माण, लिफ्ट निर्माण एवं बाढ़ सुरक्षा योजनाओं में धनावंटन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1725/प्र0अ0/बजट/बी–1, दिनांक 04 मई, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नाबार्ड के ट्रैन्च **RIDF- XIX, XX. XXI XXII,** एवं **XXIII** के अन्तर्गत निर्माणाधीन नलकूप, निर्माण, नहर निर्माण, लिफ्ट निर्माण एवं बाढ़ सुरक्षा योजनाओं पर पूर्व अवमुक्त धनराशि के व्यय प्रगति के दृष्टिगत योजनाओं के अवशेष कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में संगत मदों में प्राविधानित अवशेष धनराशि के सापेक्ष रू0 16412.91 लाख (रू0 एक अरब चौंसठ करोड़ बारह लाख इक्यानबे हजार मात्र) की धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के अधीन संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार योजनाओं पर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) उक्त धनराशि का आहरण व व्यय तभी किया जायेगा, जब विभाग द्वारा नाबार्ड से **RIDF- XIX, XX. XXI XXII,** एवं **XXIII** के अन्तर्गत योजनाओं को पूर्ण किये जाने की अवधि के विस्तार सम्बन्धी स्वीकृति तथा प्रतिपूर्ति दावों को प्रस्तुत करने के साथ नाबार्ड की स्वीकृति भी प्राप्त करेंगे।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं निर्माण कार्य की त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति वित्त विभाग एवं नाबार्ड को भी उपलबध कराई जाय।

(iii) उक्त धनराशि का उपयोग नाबार्ड की गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यकता एवं मितव्ययता का ध्यान रखते हुए किया जाय। साथ ही अधिप्राप्ति नियमावली एवं अन्य वित्तीय नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाय।

(iv) निर्माण कार्यों में भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

(v) आवश्यकतानुसार भूगर्भ वैज्ञानिक/ज्योलोजिस्ट से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाय।

(vi) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार महालेखाकार एवं वित्त विभाग को उपलबध कराया जाय।

(vii) धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकता से अधिक किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(viii) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजनायें नाबार्ड द्वारा पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी हैं। यदि बिना अनुमोदित योजना पर धनराशि व्यय की जायेगी तो उसका समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का ही होगा।

....2

(ix) कार्य की गुणवत्ता समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।

(x) विभागाध्यक्ष के निस्तारण पर जो धनराशि रखी जा रही है वह उनके द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

(xi) मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण प्रतिमाह बी0एम0–10 पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(xv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

(xvi) उल्लिखित कार्यों/योजनाओं के आगणनों में स्वीकृत डिजाईन/मानक एवं दरों तथा निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत होने पर ही स्वीकृत धनराशि को व्यय किया जायेगा।

इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या 20 के अन्तर्गत संलग्नक– में उल्लिखित लेखाशीर्षको की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

यह आदेश/स्वीकृति वित्त विभाग के शासनादेश 519/3(150)–2017/XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप निर्गत की जा रहीं हैं।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 860(1)/ II–2018–04(05)/2017तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3– निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल।
5– सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।
5– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– वित्त अनुभाग–1 एवं वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8– नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9– बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
10– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
11– गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव।

संलग्नक

शासनादेश संख्या 860 (1)/ II–2018–04(05)/2017 दिनांक 17 मई, 2018 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क0 स0	अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2018–19 में अवशेष प्राविधानित धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–04–नलकूपों का निर्माण–051–निर्माण –98– नाबार्ड पोषित –01– (आरआईडीएफ योजना–24–वृहद निर्माण कार्य	3500.00	2412.91
2	4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–06– निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/अन्य योजनायें–051– निर्माण–98–नाबार्ड पोषित–01– नहरों का निर्माण– 24–वृहद निर्माण कार्य।	10000.00	9500.00
3	4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–07– उत्तराखण्ड की लघु डाल नहरों का पुनरोद्धार–051– निर्माण–98–नाबार्ड पोषित–01– नहरों का निर्माण–24–वृहद निर्माण कार्य।	1000.00	500.00
4	4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–01–बाढ़ नियंत्रण–051– निर्माण–98–नाबार्ड पोषित–01–बाढ़ नियंत्रण कार्य–24–वृहद निर्माण कार्य।	4500.00	4000.00
		19000.00	16412.91

(रू0 एक अरब चौंसठ करोड़ बारह लाख इक्यानबे हजार मात्र)

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव